

1

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-228/2022- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० सुप्रिया शेखर, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा के द्वारा दिनांक-21.04.2025 से 24.08.2025 तक कुल-126 (एक सौ छब्बीस) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1346(25), दिनांक-03.10.2025 से प्राप्त अवकाश आदेयता एवं वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात डा० सुप्रिया शेखर को 604 (छः सौ चार) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल-228/2022- 26/2 पटना, दिनांक 9/2/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: अधीक्षक, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, मधेपुरा को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा/डा० सुप्रिया शेखर, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

विनोद कुमार पाठक  
सरकार के उप सचिव